51(w/7

संस्था निबंधन संबंधी जाँच–पत्र प्रारूप।

संoसंo–13 / निoविo संशोधन–28 / 17................ दिनांक–........................

क्र०	विषय
1	50 रू0 निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाईन किया गया हो। संस्था का नाम ऑनलाईन सोसायटी के इन्ट्री पेज तथा आलेख पर एक समान हो क्योंकि अगर इन्ट्री पेज पर संस्था का नाम त्रुटिपूर्ण हुआ तो सर्टिफिकेट भी त्रुटिपूर्ण जेनरेट होगा।
2	संस्था का नाम से सरकारी संस्था का बोध न होता हो न ही यह पूर्व से निबंधित संस्था के नाम से मिलता–जुलता हो। (ऑनलाईन और ऑफलाईन निबंधित संस्था की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है)
3	संस्था का निबंधन कराने हेतु संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन हो।
4	आमसभा की बैठक की सूचना बैठक के कम–से–कम 10 दिन पहले जारी किया गया हो।
5	बैठक की कार्यवाही में उनसभी लोगों का हस्ताक्षर हो जिनलोगों ने बैठक में भाग लिया है, चयनित सदस्यों का नाम और पदनाम हो, स्मृति पत्र और नियमावली के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव हो।
6	कार्यकारिणी सूची कम–से–कम 7 सदस्यों की हो, जो कि आपस में एक ही परिवार के न हों तथा सभी सदस्यों का हस्ताक्षर और फोटो भी हो।
7	आकांक्षी सूची हस्ताक्षर और फोटो के साथ कम–से–कम 7 सदस्यों की हो तथा सूची नोटराईज्ड / राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
8	आमसभा के सदस्यों की सूची ।
9	संस्था का उद्देश्य व्यवसायिक प्रकृति का न हो, स्मृति पत्र में संस्था का पूरा नाम पता अंकित हो।
10	नियमावली में कोष की व्यवस्था, रकम की निकासी कम–से–कम दो पदाधिकारियों द्वारा किए जाने का प्रावधान अंकित हो।
11	विदेशी अनुदान लेने की स्थिति में सर्वप्रथम गृह विभाग से अनुमति लेने का उल्लेख हो।
12	कोरम (गणपूर्ति) कम–से–कम 50%+1 हो।
13	1/3 सदस्यों की मांग के अनुरोध पर आमसभा की बैठक तीस दिनों के अन्दर करने का उल्लेख हो।
14	निबंधन महानिरीक्षक द्वारा संस्था के खर्च पर अंकेक्षण का प्रावधान अंकित हो।
15	संस्था का विघटन एवं संशोधन से संबंधित पारा में कम–से–कम $3/5^{th}$ बहुमत का उल्लेख हो।
16	शपथ पत्र में 15 रू0 का अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक हो तथा इस बात का उल्लेख हो कि कार्यकारिणी सदस्य एक ही परिवार के नही हैं।
17	सभी सदस्यों का पहचान पत्र upload किया गया हो।
18	संस्था के कार्यालय पता का प्रमाण उदाहरणार्थ किरायानामा, बिजली बिल, गैस कनेक्शन, बैंक पासबुक या तो संस्था के नाम पर हो या किसी सदस्य के नाम पर, अपलोड हो (कार्यालय पता यदि किसी सदस्य के पते पर हो तो इसका विवरण आमसभा के बैठक की कार्यवाही में होना चाहिए)
19	आलेख्य के प्रत्येक पृष्ठ यथा बैठक की कार्यवाही, स्मृति पत्र तथा नियमावली पर तीन प्राधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित हो।
20	Uploaded document में किसी प्रकार का overwriting या cutting न हो तथा कार्यकारिणी सूची, आकांक्षी सूची, स्मृति पत्र तथा नियमावली का प्रत्येक पृष्ठ अच्छी तरह टंकित किया गया हो।
21	सभी PDF पूर्ण रूप से Upload किया गया हो।
22	(1) निबंधन महानिरीक्षक के नाम संस्था निबंधन हेतु आवेदन (2) आमसभा की बैठक की सूचना (3) बैठक की कार्यवाही (4) कार्यकारिणी सूची (5) आकांक्षी सूची (6) आमसभा के सदस्यों की सूची (7) स्मृति पत्र (8) नियमावली (9) पहचान प्रमाण–पत्र (10) शपथ पत्र (11) संस्था का पता से संबंधित कुल 11 प्रकार के दस्तावेज अपलोडेड हो।
23	एक ही objection किसी भी स्तर से दो बार से अधिक दिए जाने के बावजूद अगर पक्षकार द्वारा comply नहीं किया जाता है / गलत या असंगत दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में निबंधन महानिरीक्षक को आवेदन रद्द करने का अधिकार होगा।
24	संस्था के संशोधन (Amendment) संबंधी आवेदन के comparative Chart में प्रथम आम सभा एवं वर्त्तमान आम सभा के सदस्यों की सूची जो अध्यक्ष, सचिव एवं कोषांध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो upload करना होगा। शपथ–पत्र में उल्लेख करना होगा की संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित है।
25	सभी अपलोडिंग दस्तावेज मूल में हों, न कि छाया प्रति।
26	इस आशय का शपथ–पत्र अपलोड हो कि "सभी अपलोड किए गए दस्तावेज सही है।"

9.11.17

निबंधन महानिरीक्षक
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, राँची।

C:\Users\Lenovo\Downloads\Soc. Check list 16.doc